

कशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ एवं समाधान

किशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ एवं समाधान

1. पृष्ठभूमि

- अखिल भारतीय स्तर पर एकदमजान बाल अधिनियम लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 1986 में एक किशोर न्याय अधिनियम पारित किया गया

2. मुख्य प्रावधान

- 16 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की द्वारा किये गए कानून विरोधी कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया
- अपराधियों हेतु अलग से किशोर अपराध न्यायालय की स्थापना

3. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवंबर, 1989 को बाल अधिकार अधिसमय अपनाया गया, भारत ने भी इस अधिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं।
- संभवतः दुनिया वजह से 2000 में किशोर न्याय कानून, 1986 में संशोधन कर लड़कों के संवर्ग में आयु सीमा को बढ़ाकर 16 से 18 वर्ष कर दिया गया क्योंकि अधिसमय के अनुसार 18 साल से कम के किशोरों को नाबालिग ही माना जाता है।

4. संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015

- जघन्य अपराध करने की स्थिति में बाल अपराधी की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया गया है।
- पहली बार अपराधों की श्रेणी निर्धारित की गई और जघन्य अपराध को भी परिभाषित किया गया, जिस अपराध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, उसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे- हत्या, बलात्कार आदि।
- दुर्घटना-यान्त्रिक तौर पर बच्चा गोब लेने, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल करने और विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराधों जैसे नए अपराधों को भी शामिल किया गया।

5. न्याय कानून कितना तर्कसंगत?

- पहला सवाल, क्या प्रस्तावित कानून बाल अधिकारों पर बने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिसमय का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र अधिसमय का अनुच्छेद (1) 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को बाल अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
- दूसरा सवाल, क्या कानून जेंडर न्यूट्रल है या सिएफ लड़कों पर लागू होगा? संघीय जुर्म के मामलों में लड़कों को 16 साल की आयु में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान में लड़के-लड़कियों के अपराध का अनुपात 70:30 है।
- एक तर्क यह है कि जघन्य अपराध करने वाले नाबालिग अपराधियों पर वयस्कों की तरह केस चलाने से संविधान के मौखिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि मौखिक अधिकार भी असीमित नहीं हैं बल्कि उन पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं।

6. समस्याएँ

- किशोरों के मानसिक भटकाव के लिये हमारा समाज और विद्यार्थी सामाजिक माहौल बराबर के जिम्मेदार हैं।
- संयुक्त परिवार के विखंडन के कारण बच्चे परंपरागत पाठन-पोषण से दूर हो गए हैं।
- आधुनिक संचार के युग में बच्चे अब बहुत जल्दी परिपक्व तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आवश्यक सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और मानवता का ज्ञान नहीं मिल पाता है।

7. समाधान

- नैतिक शिक्षा कठोर दंड से नहीं बल्कि प्रेम से ही सिखाई जा सकती है और इसकी शुरुआत प्रथम पाठशाळा यानी घर और आसपास के समाज से ही संभव है।
- बढ़ते बाल अपराध का केवल राजनीतिक और दंडात्मक समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिये मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक समाधान ढूँढना आवश्यक है।
- मनोवैज्ञानिक सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की समाप्ति हेतु और क्या कारगर उपाय किये जा सकते हैं।